श्री सभापति: यह क्वेश्चन से संबंधित नहीं है।

श्री संजय निरुपम: महोदय, मैं नागपुर एयरपोर्ट के संदर्भ में ही पूछ रहा हूं।

श्री सभापति: मंत्री जी ने बता दिया है जो कुछ बताना था।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, जहां तक श्री संजय निरुपम जी का प्रश्न है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: छोड़िए आ गया है क्वेश्चन का जवाब। नैक्सट क्वेश्चन। क्वेश्चन नं॰ 309।

Equity shares against Foreign Commercial Borrowings

*309. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have allowed the companies to issue equity shares against all Foreign Commercial Borrowings; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI JASWANT SINGH): (a) and (b) A Statement is placed on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) As part of the ongoing process of liberalisation, Government has permitted issue of equity shares against External Commercial Borrowings (ECBs) received in convertible foreign currency subject to meeting all applicable tax liabilities and procedures.

श्री संजय निरुपम: आदरणीय सभापति जी, मेरा प्रश्न इतना भी छोटा नहीं था कि मंत्री जी उसका उत्तर इतना छोटा देते। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुम्बई में जो कारपोरेट हाउसेज़ हैं, मार्केट के जो आपरेटर्स हैं वे अपनी-अपनी सुविधाओं के हिसाब से इस देश में आर्थिक नीतियां बनवाते रहते हैं। हम कह सकते हैं कि हम किसी के दबाव में नहीं आते, किसी के प्रभाव में नहीं आते। जैसे-एक ई.सी.बी. रूट को लेकर के एक प्रकार का परमीशन था अचानक उसके ऊपर एक रेसट्रेक्शन लगा दिया गया। परमीशन क्यों दी गई, यह हमारी समझ में नहीं आया, इससे देश को क्या फायदा हुआ? अगर कारपोरेट हाउसेज को छोड़ दें तो देश को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब जो परमीशन को रेसट्रिक्ट किया गया, इसको प्रतिबंधित किया गया, तो उससे देश को क्या फायदा है, यह भी समझ में नहीं आता है? आखिर कौन से लोग हैं जो इस प्रकार की नीतियां बनवाते हैं? उनसे लाभान्वित होते हैं? और आखिरकार इससे देश को क्या फायदा होता है?

मुझे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है। ई.सी.बी. रूट से हमारे देश में कितना लोन आया? मंत्री जी पिछले चार-पांच वर्ष का ब्यौरा बता सकें तो बेहतर होगा? ई.सी.बी. रूट को आपरेट करने वाली, उसका लाभ उठाने वाली कौन सी कम्पनियां हैं? उसमें बड़ी साइज की कम्पनियां कौन सी हैं, मीडियम साइज की कम्पनियां कौन सी हैं और उनके लिए जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वह किस प्रकार का इंटरेस्ट है? कितना इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं और उसके लिए जो बैंक गारंटी दी गई है उसका क्या क्वेंटम है, उसका क्या वेल्यु है?

श्री सभापति: ठीक है।

श्री जसवंत सिंह: सभापति महोदय, प्रश्न पूछने से पहले जो भूमिका बांधी गई कि नीति निर्धारण किसी के द्वारा, विशेषकर के मुम्बई के व्यवसायियों या कम्पनियों द्वारा होता है, यह अपने आप में एक भ्रांति है। नीति निर्धारण सरकार का काम है, व्यवसाइयों के प्रभाव में नहीं होता। माननीय सदस्य अपने विचार रख सकते हैं। दूसरा यह प्रश्न पूछा है कि उसके लाभ क्या थे। 15 नवम्बर को एक बड़ा प्रमुख कारण यह था कि हमारे बैंक और बैंकों के पास जब समुचित मात्रा में ऋण देने को धनराशि है, क्योंकि एक्सटरनल कामर्शियल बॉरोइंग में जो दर है इंटरेस्ट की, वह कम होती है इसलिए उस रास्ते पर थोड़ी रेसट्रेक्शन लगा दी जाये तो हो सकता है कि हमारी जो बैंकों का क्रेडिट है वह थोड़ा ऑफ टेक बढ़ जायेगा। माननीय सदस्य ने उसके लाभ-हानि के बारे में पूछा है। यह नीति नवम्बर में लागू की गई है। हम इसको देख रहे हैं कि क्या परिणाम इसके निकलते हैं। इसके बाद उन्होंने एक बहुत विस्तृत प्रश्न पूछा है कि पिछले तीन सालों में कितना लाभ उठाया गया, किसने उठाया, किस दर पर उठाया। वर्ष 2001-2002 में यह 2.6 बिलियन डालर था, 2002-2003 में 4.2 बिलियन डालर और इस साल सितंबर के अंत तक 3.2 बिलियन डालर्स है। यदि समूची अर्थ व्यवस्था के संदर्भ में इसको देखें, तो यह इतनी बड़ी मात्रा भी नहीं है। किन कम्पनियों ने उठाया, किस दर पर उठाया, किस बैंक ने उसकी गारंटी दी, यह मेरे पास इत्तला नहीं है।

श्री सभापति: ठीक है। बस हो गया। क्या पूछना है? अगर पूछना है तो पूछ लीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जवाब सबका आ गया है।

श्री संजय निरुपम: सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह बताया है कि subject to meeting all applicable tax liabilities. यह टैक्स लायबिलिटीज़ कितनी हैं? उसकी लिमिट क्या होगी? और वह लिमिट सच पूछिये तो तय कौन करेगा?

श्री जसवंत सिंह: सभापति महोदय, टैक्स लायबिलिटी किसकी है, अगर कोई कारपोरेट बाडी है, उसकी टैक्स लायबिलिटी उसकी आमदनी के आधार पर बनेगी और इसको रेवेन्यु डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तय करेगा। टैक्स लायबिलिटी उसकी कितनी बनती है और सब्जेक्ट टू टैक्स लायबिलिटी का अर्थ यही है कि टैक्स लायबिलिटी के बाद ही कोई दूसरा विचार किया जायेगा। ...(व्यवधान)...